

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

हकीम अधिकारी- मांगीलाल, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
संख्या:- 41/2016

1. मनोज कुमार पुत्र अर्जन जाति यादव निवासी खाराखेडा तह. टिब्बी जिला हनुमानगढ  
-प्रार्थी

बनाम

1. सुल्तान पुत्र लाधूराम जाति सुथार निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ(फौत)

- 1/1 चन्द्रपाल पुत्र सुल्तान
- 1/2 पृथ्वी पुत्र सुल्तान
- 1/3 चुन्नीराम पुत्र सुल्तान
- 1/4 मदनलाल पुत्र सुल्ता
- 1/5 जीतराम पुत्र सुल्तान
- 1/6 हनुमान पुत्र सुल्तान
- 1/7 कैलाश पुत्री सुल्तान
- 1/8 बसकरो पुत्री सुल्तान

जाति सुथार निवासी गिलवाला त. टिब्बी, हनुमानगढ

2. मनफूल

3. रामकुमार

4. महन्तराम

5. श्योचन्द

6. हीरालाल

पुत्रगण लाधूराम जाति सुथार निवासी गिलवाला तह. टिब्बी जिला हनुमानगढ

पुत्रगण शंकरलाल जाति सुथार निवासी गिलवाला तह. टिब्बी हनुमानगढ

-अप्रार्थीगण

उपस्थित:-

1-श्री रोहिताश चाहर,अधिवक्ता प्रार्थी

2-श्री जयनारायण शर्मा,अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांक:- 01.11.2021

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी के नाम से वाकें चकनं० 4 सीडीआर के खाता सं० 98/91 के प०न० 227/226 मु० 19 किला नं० 9,10,11,12 प०न० 26/226 मु० 20 किलानं० 3,4,5,6,7,14,15 कुल 1.771 है० नहरी कृषि भूमि 8/11 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा अप्रार्थीगण सं० 1 ता 6 के नाम से इसी चक के खातासं० 164/154 प०न० 227/226 मु० 19 किलानं० 17 ता 24 कुल 2.024 है० नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी चक 4 सीडीआर के खातासं० 98/91 व 164/154 संवत 2072 ता 75 संलग्न प्रार्थना पत्र है। चकनं० 4 सीडीआर के खातासं० 98/91 की कुल 1.771 है० नहरी कृषि भूमि में मुझ प्रार्थी का 8/11 तथा राजीव पुत्र



*Handwritten signature*  
01.11.21  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
टिब्बी

प तहसीलदार चक  
केत कर  
लाधर कौम जाट निवासी खाराखेड़ा का 3/11 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त  
भूमि का खाता विभाजन होकर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.06.2015 को डिक्री  
की गई। मुताबिक डिक्री मुझ प्रार्थी को वाके चक 4 सीडीआर के प०न० 227/226  
19 किला नं० 9,10,11,12 प०न० 226/226 मु० 20 किलानं० 6,7,14,15 कुल 2.024 है।  
8 बीघा कृषि भूमि प्राप्त हुई। परन्तु राजीव पुत्र लीलाधर द्वारा अपने हिस्से की कृषि भूमि  
का फोटो प्रति डिक्री दिनांक 12.06.2015 की पालना राजस्व रिकार्ड में नहीं  
0 98/91 के प०न० 227/229 मु० 19 किलानं० 9,10,11,12 प०न० 226/226 मु० 20  
किलानं० 6,7,14,15 कुल 2.024 है० माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 12.06.2015  
प्राप्त हुई है जिस पर मुझ प्रार्थी का कब्जा काश्त है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में मुझ  
प्रार्थी को आवागमन के लिये कोई उचित समुचित व नजदीक रास्ता नहीं है। उपरोक्त रास्ता  
राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं होने के कारण प्रार्थी को आवागमन में परेशानी होती है।  
प्रार्थी उक्त रास्ता वाके चक 4 सीडीआर के प०न० 227/226 मु० 19 किलानं० 20,21  
एक एक बिश्वा राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाना चाहता है। प्रार्थी रास्ता में आने वाली  
भूमि के बदले में भूमि या राशि डी.एल.सी. के अनुसार अप्रार्थीगण को अदा करने को तैयार है।  
प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए एक मात्र रास्ता प्रार्थना पत्र की दफा 4 में  
उक्त अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त अंकन नहीं होने के  
कारण अप्रार्थीगण रास्ता बन्द करने की धमकी दे रहे हैं उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन  
होने के कारण मुझ प्रार्थी को आवागमन में बाधा होती है। अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा  
51 ए आरटीए पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके चकनं० 4 सीडीआर के  
प०न० 227/226 मु० 19 किलानं० 20,21 के पश्चिमी दिशा में दक्षिण से उतर की ओर एक  
चक बिश्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता का अंकन किये जाने के  
आदेश फरमावे।

46

अप्रार्थी महंतराम ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी संख्या 1  
वर्ष 2008 में ही फौत हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थना पत्र मृत व्यक्ति के विरुद्ध पेश  
किया गया है जिससे प्रार्थना पत्र अबेट है व खारिज किया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 एवं सपठित  
आदेश 1 नियम 10 व धारा 151,153 इस आशय का पेश किया कि उपरोक्त प्रकरण मुझ प्रार्थी  
द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक नंबर 4 सीडीआर में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की  
खातेदारी कृषि भूमि चक 4 सीडीआर के प.न. 227/226 मु० 19 किला नं० 20,21 के  
पश्चिमी दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर एक एक बिश्वा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड  
मु० 20 रास्ता का अंकन करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में वाके चक नंबर 4  
सीडीआर के खाता सं० 164/154 की कुल 2.024 है० नहरी कृषि भूमि अप्रार्थी सं० 1 ता 6  
के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। मुझ प्रार्थी द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड है अप्रार्थीगण को  
पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थीगण सं० 4 महंत राम ने गत तारीख पेशी न्यायालय में  
उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि अप्रार्थी सं० 1 सुल्तान फौत हो चुका है। मुझ  
प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र से अप्रार्थी के फौत होने की सूचना मिली क्योंकि पहले प्रार्थी को  
इसकी जानकारी नहीं थी क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सुल्तान के फौत होने का अंकन  
दर्ज नहीं होने तथा विरास्तन इंतकाल दर्ज नहीं हो सकी। क्योंकि प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का  
व्यक्ति है जिसे कानूनी प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है तथा अब मुझ प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र महंत राम  
के प्रस्तुत होने के पश्चात अप्रार्थी के जायज व कानूनी वारिसान का पता कर आज बिना देरी  
किए न्यायालय अप्रार्थी सं० 1 के जायज व कानूनी वारिसान की सूची प्रस्तुत कर रहा है जो  
कि निम्न प्रकार है—



Handwritten signature and date: 01-11-21

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
टिब्बी

चन्द्रपाल पुत्र  
पृथ्वी पुत्र  
बुन्नीराम पुत्र  
मदनलाल पुत्र  
जीतराम पुत्र  
हनुमान पुत्र  
कैलाष पुत्री  
बसकरो पुत्री

47

प्रार्थना पत्र की दफा 2 में अंकित है अप्रार्थी संख्या 1 सुल्तान के कानूनी व वारिसान को प्रकरण में सुल्तान के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति का है जो तकनीकी आधार पर नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी को अप्रार्थी सं० 1 के फौत होने का इल्म नहीं था प्रार्थी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के अप्रार्थी सं० 1 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा विधि सार प्रार्थना पत्र किसी भी कार्यवाही में किसी भी त्रुटि या गलती को संशोधित किया जाता है। इसलिए प्रकरण में है अप्रार्थी सं० 1 का नाम कलमजन कर उनके स्थान पर उनके ज व कानूनी वारिसान दफा 2 में अंकित प्रतिवादी सं० 1/1 से 1/8 अप्रार्थी के रूप में अंकित किया जाना आवश्यक है जिससे प्रकरण का सही निस्तारण हो सके। अतः प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जा कर अप्रार्थी सं० 1 का कलमजन कर उनके स्थान पर उनके कानूनी व जायज वारिसान को अप्रार्थी सं० 1/1/8 के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने का आदेश फरमाये।

प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता अपार्थीगण द्वारा अनापत्ति जाहिर की गयी व प्रार्थना पत्र प्रकृत किया गया व अप्रार्थी संख्या 1 के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया गया।

अधिवक्ता अपार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र की मद सं० 1 कानूनी है। प्रार्थना पत्र की मद सं० 2 राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित। प्रा० पत्र की मद सं० 2 कतई गलत व मिथ्या तथ्यों पर आधारित है इसलिये स्वीकार नहीं प्रार्थी द्वारा अपार्थीगण की भूमि चक न० 4 सीडीआर प०न० 227/226 किला 20, 21 या अन्य किसी किला में सें हो कर प्रवेश नहीं करता है अपार्थीगण की भूमि में कभी भी रास्ता चालू नहीं रहा है व नां ही मौका पर रास्ता का कोई वजूद है प्रार्थी अन्य काश्तकार की भूमि में प्रवेश करता है अपार्थीगण की भूमि में किसी भी किला में रास्ता चालू नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद सं० 4 मिथ्या तथ्यों पर आधारित है इसलिये अस्वीकार है। अपार्थीगण के पास 2.024 है० भूमि है जिसमें अपार्थीगण 5 हिस्सेदार है जिनमें प्रत्येक हिस्सेदार को 1.5 हिस्सा भूमि हिस्सा में आती है इतने छोटे व लघु काश्तकार की भूमि में रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता यदि प्रार्थीगण को रास्ता स्वीकार किया जाता है तो अपार्थीगण की भूमि के कई टुकड़े हो जायेंगे एसी स्थिती में वे काश्त से ही वंचित हो जायेंगे विवादित आराजी अपार्थीगण की स्वयं की अपनी कमाई से जरिये पंजिबद्ध बैयनामें खरीद शुदा है उक्त आराजी कोई रास्ता चालू नहीं है व नां ही रास्ता स्वीकृत किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद सं० 5 अस्वीकार है। विवादीत आराजा में प्रार्थी को रास्ता स्वीकार करवाने का कोई हक नहीं है। प्रार्थी हम अपार्थीगण सें राजनैतिक रंजिश रखता है व विरोधी व्यक्तियों से मिलकर हमें इर्जे खर्चे सें जैरवार करने व तंग व परेशान करने के लिये बिना किसी जायज आवश्यकता के लिये मिथ्या तथ्यों पर यह प्रा० पत्र पेश किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है प्रार्थी अन्य काश्तकार के खेत में सें प०न० 226/226 के किला न० 5 व 6 में मुजूरशुदा चालू रास्ता के आगे प०न० 227/226 कि०न० 16, 25 में सें हो कर अपने खेत में आता जाता है इन्ही किलों में प्रार्थी को रास्ता स्वीकार कराना चाहिये जो मौका पर चालू है अपार्थीगण की



01.11.21  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
दिल्ली

पता साबुआना अंकित 16.02  
द्वारा चक 2 एसबीएन के खाता सं. 103/99 में दर्ज नाम बिन्दो के स्थान पर गुरमीतकौर व  
ने के संबंध में रिपोर्ट चाही गई जिस संदर्भ में पटवारी हल्का साबुआना  
प्रस्तुत की जिसमें दस्तावेज व ग्रामीणों की एकत्रित  
नाम गुरमीतकौर

सं कोई रास्ता नहीं है व ना ही मौका पर रास्ते का कोई वजूद है। प्रार्थना पत्र की मद  
6 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी आधारहीन तथ्यों पर आधारित है व चलने योग्य नहीं  
अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जो गलत व  
या तथ्यों पर पेश किया गया है को खारीज किया जावे। विचाराधीन प्रकरण में राजस्थान  
धिकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अंतर्गत तहसीलदार टिब्बी से  
प्रारित प्रपत्र में रिपोर्ट ली गयी जिसके अनुसार—

स्तावित रास्ते के पश्चिम दिशा में मंजूरशुदा रास्ते के पास मकान बना रखा है। मकान  
छोड़कर पास से रास्ता दिया जा सकता है।  
र्तमान में प्रार्थी अन्य काश्तकारों के खेतों से आना जाना करते है।  
स्तावित रास्ता ही निकटतम दुरी पर है एवं इसी रास्ते से खेत में आने जाने में सुविधा  
ती है।  
क्षकार प्रतिकर रकम पर सहमत नहीं है।  
ार्थी रास्ते के बदले भूमि देने के लिए सहमत हैं।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु  
म्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया गया—

रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता।  
वैकल्पिक रास्ते की आवश्यकता।  
नया मार्ग लघुतम रूट से हो।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता उभय पक्ष ने निवेदन किया  
के मौका निरीक्षण कर प्रकरण का निस्तारण किया जावे। दिनांक 02.02.2021 को  
धोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा मौका निरीक्षण किया गया जिसमें तहसीलदार(राजस्व) टिब्बी की रिपोर्ट  
ष्ट पायी गयी। पत्रावली में सलंगन जमाबंदी, नजरी नक्शा आदि का अवलोकन किया गया।  
रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता और वैकल्पिक रास्ते के अभाव के मद्देनजर प्रार्थीगण का  
ार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

### क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त दिवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 4  
पीडीआर के प.न.227/226 मु.न.19 कि.न. 20,21 के पश्चिम दिशा में व कि.न. 21 में द.प.  
कोने में निर्मित मकान के पूर्व में दक्षिण से उत्तर की ओर एक-एक बिश्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत  
किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता का अंकन किया जाकर मौके पर रास्ता  
दोस्त करवाए जाने के आदेश दिए जाते हैं। चूंकि प्रार्थी रास्ते की एवज में चिपती भूमि देने के  
लिए तैयार है और एक काश्तकार के लिए भूमि के बदले भूमि ही उचित प्रतिकर है। अतः रास्ते  
के बदले प्रार्थी के प.न.227/226 के कि.न. 11 व 12 की दक्षिण दिशा की एक-एक बिश्वा  
भूमि जो की अप्रार्थीगण की भूमि से चिपती है, को अप्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने के  
आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार(राजस्व)टिब्बी को पालनार्थ लिखा जावे पत्रावली निर्णय शुमार  
होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 01.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



*hisp*  
01.11.21  
(मांगीलाल)आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
टिब्बी